Reg. Change in Land Acquisiion Bill to compensate farmers of Ambedkar Nagar at market price and provision of 50% reservation to the locals in jobs, industgry established there.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । मेरे लोक सभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर से दो प्रमुख 6 लेन मार्ग पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे जा रहे हैं । इन दोनों मार्गों पर औद्योगिक क्षेत्र एवं लॉजिस्टिकल हब बनाया जा रहा है । आपके माध्यम से मैं सरकार को अवगत करवाना चाहता हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर अकबरपुर ब्लॉक के बेवाना गांव और उसके निकट तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के भियांव ब्लॉक के अजमलपुर, गौरी बड़ह, नूरपुर कला और रतना गांव में औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है ।

इन सभी गांवों के प्रभावित किसान और लोग इस अधिग्रहण के तहत उनको जो मुआवजा प्रदान किया जा रहा है, उसको लेकर अत्यन्त निराश हैं । मुआवजे के रूप में प्रति बिस्वा 1 लाख 40 हजार रुपये मात्र उनको दिए जा रहे हैं, जबकि मार्केट रेट 6 से 7 लाख रुपये है । मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि वहां के किसान इस मुद्दे को लेकर आक्रोशित हैं और वहां पर स्थिति आंदोलित हो चुकी है । यहां तक कि वहां की जनता धरने पर बैठी हुई है ।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूँ कि किसानों के आक्रोश को देखते हुए भूमि अधिग्रहण कानून में उचित तब्दीलियां लाई जाएं, ताकि वहां के लोगों को तथा अम्बेडकर नगर के किसानों को सही रूप से मार्केट रेट पर पैसे दिए जा सकें । इसी के साथ-साथ मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि औद्योगिक क्षेत्र और लॉजिस्टिकल हब में जो नए उद्योग आएंगे, उनमें नौकरियों में अम्बेडकर नगर के लोगों के लिए और वहां के युवाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, ताकि वहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस महत्वपूर्ण इश्यू पर केन्द्रित करवाना चाहता हूँ ।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ ।